

पुनः या कार्यवाही गय इन्डियान्स जज

नम्बर में तारीख  
 आह्वान में उरा ह  
 की तारीख में जारी

पश्चावली पेव 58) अधिवक्ता जारी दण्डित/अजयी  
 गच्छतः । ता 7 के सिद्ध एक पथिप कारपवित्ती  
 लाली वी गई थी बहस अधिवक्ता जारी  
 सुनी गई। बहस में अधिवक्ता जारी डाय  
 निवेदन किया गया कि चक 6 HDP  
 स्थला त. 21/31 के प. न. 5/255  
 (27) किला त. । ता 7 वी 1.771 ई.  
 इनकाठ खालेदाची में सिन्की देवी  
 के नाम दण्ड 314/1771 दिसस भूमि  
 पर कम्बार्डि निधेधारा ता दावा  
 केसला निगलत की जावे ।  
 बहस सुनी गई बहस  
 पर नग्न किया गया पश्चावली का  
 अवलोकन किया गया उभगत रकबा  
 के सिन्की देवी रिकार्डि खालेदाच  
 की शकस्थान कारभकार अधिनित  
 धाय 212 के लघु रिकार्डि खालेदाच  
 को लरिपे निधेधारा पण्ड किया  
 जात न्याय संगत जलत नही  
 देता थी म्पकि लरिपे निधेधारा रिकार्डि  
 खालेदाच की सुविधा का संतुलन  
 उभावित देता थी इस लिए उर्धन  
 पर 212 PTA साबित नही होके  
 दे खारिण किया जाता थी  
 पश्चावली केसला देवत कारखल  
 दमात होउ